

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फ़ैक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/

540

खरगोन, दिनांक 20/01/2022

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
(संचा/संधा), म.प्र. वि.वि.कं.लिमि.

खरगोन प्रथम II

- विषय:- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेलसिंग फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबद्। प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/150502/2021 दिनांक 05.01.2022।
- संदर्भ:- 1. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय का पत्र क्रमांक/20/कापायं/खरगोन/सामा./2021-22 दिनांक 05.01.2022।
2. इस कार्यालय में पोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 10.01.2022।

संदर्भित पत्रों के संलग्न एवं पोर्टल पर दर्ज, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेलसिंग फाल्या की अनुमति चाही जाकर प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः लेख है कि म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5/14/2005/10-3 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदक संस्था से पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- प्रति प्रस्ताव तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- वसूल किये जाने का प्रावधान होने से कृपया विषयांकित प्रकरण में निम्नानुसार राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

1. पंजीयन शुल्क :-	1000/-
2. प्रोसेसिंग शुल्क:-	5000/-
योग:-	6000/-

(प्रशांत कुमार सिंह)

(भा.व.से)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

खरगोन दिनांक 20/01/2022

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./2021/ 541

प्रतिलिपि :- शाखा प्रभारी, राजस्व वनमण्डल, खरगोन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

19/11

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फ़ैक्स : (07282) 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 /
प्रति,

534

खरगोन, दिनांक 20/01/2022

वन परिक्षेत्राधिकारी,
तितरान्या

- विषय:- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेलसिंग फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबद्। प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/VELEC/150502/2021 दिनांक 05.01.2022।
- संदर्भ:- 1. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय का पत्र क्रमांक/20 /कापायं/खरगोन/सामा./2021-22 दिनांक 05.01.2022।
2. इस कार्यालय में पोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 10.01.2022।

संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा 11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेलसिंग फाल्या में विद्युत लाईन के विस्तार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/VELEC/150502/2021 की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न आपकी ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संस्थान के संबंधित किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि आपसे सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो आप प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण करे तथा कक्षवार प्रभावित वनभूमि वन मानचित्र पैमाना 1:50000 पर अंकित कर मय प्रस्तावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज की प्रजातितवार, कक्षवार गणना कर गणना एवं मूल्यांकन पत्रक तैयार कर निम्नानुसार प्रस्तुत करें:-

1. प्रस्तावित योजना के स्थल के दो फोटोग्राफ।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण। (विगत वन्य प्राणी गणना अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित प्रस्तुत करें।
4. एतिहासिक/पुरात्त्व धरोहर न होने का प्रमाण -पत्र।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।
6. प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप।
7. न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
8. पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव भाग-2 की प्रति में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति करना।

अतः उक्त प्रमाण पत्रों सहित प्रतिवेदन संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- यथोपरी

(प्रशांत कुमार सिंह)
(भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी,

07C सामान्य वनमण्डल, खरगोन
खरगोन, दिनांक 20/01/2022

पृ.क्र. / मा.चि. / 2022 /
535

प्रतिलिपि:- 1. कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तावित Electirfication of village, Chopali babar Faliya, Chopali Master Faliya, Sardar Faliya Bilkhed, Omkar Faliya Bilkhed and Narvat Revdiya Faliya योजनाएं ऐकजाई कर सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट पर अंकित कर प्रस्तुत करें तथा योजना से प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराये जाने हेतु आपकी संस्थान के किसी अधिकारी/कर्मचारी को वन परिक्षेत्राधिकारी, तितरान्या से संपर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

2. उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव की ओर अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में आप भी अपना सुस्पष्ट अभिमत अंकित करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी,

07C सामान्य वनमण्डल, खरगोन

19/11